## **अंतरिम कार्यवाही दिनांक 13.06.18** एमजेसी प्र.क.-04/12

अनावेदक / जमानतदार पक्ष की ओर से किये गये निवेदन पर बाद विचार दर्शित आधार पर न्यायहित में विपक्ष की अनापत्ति को देखते हुये इस पुराने प्रकरण को आज सुनवाई में लिया गया।

आवेदक / राज्य द्वारा श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

अनावेदक / जमानतदार दिनेश सिंह की ओर से श्री बी०एस० यादव अधिवक्ता उपस्थित ने उक्त अनावेदक की ओर से एडवोकेट मेमो पेश किया।

अनावेदक / जमानतदार की ओर से नोटिस अंतर्गत धारा 446 द0प्र0सं0 का जबाव पेश किया गया एवं समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। प्रतिलिपि विपक्ष को प्रदान की गई।

धारा 446 द0प्र0सं0 के अंतर्गत प्रतिभूति पत्र की राशि राजसात किये जाने के बिन्दु पर उभयपक्ष को सुना गया।

अनावेदक / जमानतदार की ओर से कम से कम राशि राजसात किये जाने का निवेदन इन आधारों पर किया गया कि अभियुक्त को अनुपस्थित हो जाने के पश्चात मूल प्रकरण में उसने उपस्थित करा दिया है तथा मूल प्रकरण का निराकरण हो चुका है एवं वह गरीब किसान व्यक्ति है। 2—3 वर्षों से सूखा पड़ने के कारण खेती में पर्याप्त फसल नहीं हो रही है जिससे परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या पैदा हो गई है तथा ग्वालियर में अध्ययनरत अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने में भी समस्या पैदा हो रही है एवं उसकी भतीजी की भी शादी दिनांक 22 जून 2018 को होना है, जिसकी जिम्मेदारी उसके उपर हैं।

आवेदक / राज्य की ओर से एजीपी द्वारा भी अनावेदक की गरीबी को देखते हुये उचित राशि राजसात करने का निवेदन किया गया है तथा प्रकट किया है कि मूल प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति हो चुकी है और प्रकरण का निराकरण हो चुका है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुए इस प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि सत्र प्रकरण कमांक 225/99 में अनावेदक/जमानतदार दिनेश सिंह द्वारा अभियुक्त लल्ला उर्फ नगेंद्र उर्फ विजेंद्र की 100000/— रूपये की जमानत दिये जाने के पश्चात अभियुक्त के अनुपस्थित हो जाने से यह विविध प्रकरण जमानतदार दिनेश सिंह के विरूद्ध प्रतिभूति पत्र की राशि राजसात किये जाने की कार्यवाही हेतु यह विविध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है तथा अनावेदक पक्ष का कहना है कि उसने मूल प्रकरण में अभियुक्त को उपस्थित करा दिया है और उक्त मूल प्रकरण का निराकरण भी हो चुका है, जिसकी पुष्टि उपस्थित ए.जी.पी. द्वारा भी की गई है एवं अनावेदक/जमानतदार का कहना है कि वह गरीब किसान व्यक्ति है। 2—3 वर्षों

से सूखा पड़ने के कारण खेती में पर्याप्त फसल नहीं हो रही है जिससे परिवार के समक्ष भरण पोषण की समस्या पैदा हो गई है तथा ग्वालियर में अध्ययनरत अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने में भी समस्या पैदा हो रही है एवं उसकी भतीजी की भी शादी दिनांक 22 जून 2018 को होना है, जिसकी जिम्मेदारी उसके उपर हैं।

अतः उक्त समस्त के आलोक में न्यायहित में अनावेदक / जमानतदार दिनेश के 100000 / - रुपए के प्रतिभूति पत्र में से शेष राशि का परिहार करते हुए 17000 / - रुपए (सत्रह हजार रूपये) की राशि राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार उसकी ओर से उक्त राशि जमा करायी जावे।

इसी समय अनावेदक / जमानतदार दिनेश की ओर से राजसात की गयी राशि 17000/- रुपए रशीद क्रमांक 47 बुक क्रमांक 11232 पर जमा करायी गयी।

प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से यह विविध प्रकरण .... अल अभिलेखागार ह (सतीश कुमार गुप्ता) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद निरस्त किया जाता है। प्रकरण में आगामी तिथि निरस्त हो।